सम्पूर्ण पार्क के आवंटन हेतु नियम-शर्तें

स्मारक समिति के प्रबन्धाधीन मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल का आवंटन राजनैतिक पार्टियों तथा निजी व सरकारी संस्थाओं आदि को रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जनसभाओं, सम्मेलन, अधिवेशन, महोत्सव, मेला इत्यादि प्रयोजनों के लिए निर्धारित शुल्क के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित नियम, शर्तों/प्रतिबन्धों के आधार पर आवंटन किया जायेगाः-

1 उक्त स्थल का आवंटन प्रबंध समिति द्वारा अनुमोदित शुल्क के आधार पर किया जाएगा।

2 स्थल का आवंटन किसी ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा, जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता हो, देशद्रोह की भावना व्याप्त होने की सम्भावना हो तथा जिससे भारतीय संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो। किसी समुदाय की भावनाओं के आहत होने की सम्भावना हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका हो।

3 आवंटन की स्वीकृति/निरस्तीकरण का अधिकार मुख्य प्रबन्धक, स्मारक समिति में निहित होगा।

4 प्रतिभूति राशि आवंटन शुल्क के साथ जमा करनी होगी। कार्यक्रम समापन के उपरान्त स्थल पर निर्मित भवन/परिसर को यदि किसी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति जमा प्रतिभूति राशि अथवा आयोजक से की जाएगी।

5 परिक्षेत्र में तैनात कार्मिकों को किसी भी समय परिसर तथा मंच पर व्यवस्था हेतु आवागमन की अनुमति होगी। आयोजक को उन्हें रोकने का अधिकार नहीं होगा।

6 किन्हीं विशेष अथवा आकस्मिक कारणों से आवंटन निरस्त किया जा सकता है। निरस्तीकरण की दशा में आयोजक द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। इस हेतु आयोजक को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

7 परिक्षेत्र में प्रदर्शनी एवं जन आयोजनों हेतु अन्य संबंधित विभागों से अनापत्तियाँ प्राप्त करने एवं स्थानीय पुलिस को सूचित करने का उत्तरदायित्व आयोजक/आवंटी का होगा। जो आयोजक को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिवसों के भीतर कार्यालय में सम्बन्धित प्रपत्र उपलब्ध कराना होगा।

8 सुरक्षाकर्मियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा परिसर में अस्त्र-शस्त्र का उपयोग अथवा प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

9 आवेदक द्वारा आवंटन निरस्त कराने पर जमा आवंटन शुल्क में निम्नानुसार कटौती की जायेगीः-

आवंटन तिथि से 30 दिन से अधिक	30 प्रतिशत
आवंटन तिथि से 26 से 30 दिन के मध्य	40 प्रतिशत
आवंटन तिथि से 21 से 25 दिन के मध्य	50 प्रतिशत
आवंटन तिथि से 16 से 20 दिन के मध्य	60 प्रतिशत
आवंटन तिथि से 11 से 15 दिन के मध्य	70 प्रतिशत
आवंटन तिथि से 10 दिन के अंदर	100 प्रतिशत

10 आयोजक को यथा आवश्यकता लोक उद्घोषणा सिस्टम यथा माईक, साउण्ड आदि की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। आयोजन हेतु आयोजन स्थल पर लाई गई समस्त सामग्री/उपकरण यथा टेन्ट, लाईट, साउण्ड, हैंगर, कुर्सी, फर्नीचर, बारदाना, कलाकृति, डेकोरेशन (साज-सज्जा), कन्ट्रोल पैनल,

कनसोल, लाईट, कैमरा अन्य विद्युत/इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित समस्त प्रकार की सामग्री व मशीनरी/उपकरण की देखरेख व सुरक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आयोजक का ही होगा व गेट की प्रवेश व्यवस्था भी आयोजक द्वारा स्वयं सेवकों/निजी गार्डो के माध्यम से करायी जानी होगी। इस संबंध में स्मारक समिति का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा।

11 अवसंरचना कमी व स्टोन फ्रेक्चर के कारण गेट संख्या-01 व गेट संख्या-03 प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा। गेट के आस-पास बैरिकेटिंग कराने, सुरक्षित करने, आगुन्तकों के आवागमन को व्यवस्थित करने, किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व आयोजक का होगा। गेट संख्या-1 व 3 के उपयोग में लाये बिना कार्यक्रम के आयोजन हेतु आवंटी को लिखित सहमति देनी होगी।

12 आयोजक को शांति व्यवस्था से सम्बन्धित शासन-प्रशासन द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों का पालन करना होगा।

13 किसी आपत्तिजनक कार्यक्रम/प्रदर्शन को तत्काल रोकने का अधिकार प्रबन्धक परिक्षेत्र एवं समिति के उच्चाधिकारियों को होगा।

14 समुचित मात्रा में पेयजल हेतु समुचित मात्रा में टैंकर की बुकिंग करते हुये बुकिंग की रसीद/जमा धनराशि की छायाप्रति आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के 15 दिवसों के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। आयोजन हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले शौचालयों के सेप्टिक टैंक को आवंटी द्वारा जल संस्थान से स्वयं की लागत पर खाली करवाया जायेगा।

15 आवंटी द्वारा जल संस्थान से सक्शन टैंकर/मशीन की बुकिंग के साथ-साथ सेप्टिक टैंक को खाली कराने हेतु उपकरणों सहित सक्शन मशीन के साथ पाईप सीवर लाईन में डालने हेतु हेल्पर/कर्मचारी, सीवर चैम्बर खोलने हेतु उपकरण सहित कर्मचारी की मांग भी कर ली जाये जिससे कि आयोजन से पूर्व ही आयोजन स्थल के सेप्टिक टैंकों को खाली करने/सक्शन करने पर आने वाले व्यय की रसीद/जमा धनराशि की छायाप्रति आवंटन तिथि से 15 दिवस पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु स्मारक समिति द्वारा कोई व्यय नही किया जायेगा।

16 आवंटी को अग्निशमन विभाग, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, हजरतगंज/अग्निशमन अधिकारी, आलमबाग से वांछित अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी। आयोजक को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी उपायों के दृष्टिगत मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी आलमबाग द्वारा आगणित संख्यानुसार/पर्याप्त संख्या मेंABC 5Kg, DCP 5Kg, CO2 4.5Kgसिलेण्डरों को स्वयं व्यवस्था कराते हुये आयोजन स्थल पर रखने होंगे।

17 कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, लेसा, एल0डी0ए0 कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ से मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतक स्थल पर कार्यक्रम के आयोजन हेतु 200 किलोवाट (टी0सी0) कनेक्शन आवंटन अवधि के लिए लेते हुए जमा धनराशि की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाएगी अथवाआवंटी द्वारा स्वयं के व्यय पर डी0जी0 सेट (साइलेन्ट जनरेटर) की व्यवस्था की जाएगी। विद्युत संयोजन हेतु कार्यक्रम स्थल तक अपनी केबिल डालते हुये कन्ट्रोल पैनल भी लगाना होगा। अतिरिक्त प्रकाशीय व्यवस्था (हाईमास्ट, साउण्ड सिस्टम, फैन एवं अन्य विद्युत उपकरण इत्यादि) आयोजक द्वारा की जाएगी।

18 आवंटी/आयोजक परिक्षेत्र के अन्दर कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेगा, जिससे कि कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन हो। यदि कोई ऐसा कार्यक्रम स्मारक समिति के संज्ञान में लाये बिना आयोजित होता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आयोजक का ही होगा।

19 आयोजक समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के साथ-साथ रु0 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का स्व-घोषणा पत्र/अण्डरटेकिंग भी देगा कि यदि कोई भी औपचारिकता शेष रह जाती है या किसी भी प्रकार की क्षति/दुघर्टना होने पर समस्त प्रकार का दायित्व आयोजक का ही होगा एवं आयोजन के कारण किसी भी प्रकार की सरकारी सम्पत्ति/जानमाल की हुई क्षति की प्रतिपूर्ति वर्तमान बाजार दर पर करने हेतु आयोजक सहमत है। जो आयोजक को आवंटन तिथि से 15 दिवस पूर्व इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

20 प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु संस्था/आयोजक का जी0एस0टी0 सर्टिफिकेट एवं रजिस्ट्रेशन की सत्यापित छायाप्रति, पैन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि, कैन्सिल्ड चेक, पासबुक की प्रतिलिपि, जिसमें आई0एफ0एस0सी0कोड अंकित हो, संलग्न करते हुये आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

21 आयोजक/आवंटी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के 15 कार्य दिवसों के भीतर आवंटन की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा दूसरे आवेदक के पक्ष में स्थल का आवंटन किया जा सकेगा।

22 सदस्य सचिव महोदय के आदेश संख्या-06/प्र.प्र./240/आवंटन शुल्क/2022 दिनांक 03.01.2023 के क्रम में निम्नलिखित दरें प्रभावी हैंः-

दरें (प्रतिदिन) रूपये में	3,63,000.00
10 प्रतिशत प्रतिभूति/धरोहर राशि	36,300.00
(9%SGST + 9%CGST)18 प्रतिशत जी0एस0टी0 धनराशि	65,340.00
योग	**4,64,640.00**

यदि आयोजक द्वारा नियत तिथि के पूर्व अथवा पश्चात् आवंटित स्थलों का उपयोग किया जाता है, तो निर्धारित दरों के आधार पर अतिरिक्त किराया देय होगा।

23 आवंटन की धनराशि ''स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्को व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ खाता संख्या-0294000110073467'' के पक्ष में जमा करायी जायेगी। यदि स्मारक समिति के पूरे नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाने में असुविधा का सामना करना पड़े तो संक्षिप्तनाम “SSSPUAPS EVAM ANURAKSHAN SAMITI” A/C 0294000110073467" के पक्ष में डिमाड ड्राफ्ट बनवाकर मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल के लेखाकार कार्यालय में जमा करते हुए उसकी रसीद प्राप्त कर ली जायेगी।

24 स्मारक समिति को बिना कारण बताये किसी भी समय आयोजन स्थल का आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। एक से अधिक आयोजकों द्वारा एक ही तिथि में आयोजन हेतु आवेदन करने की स्थिति में स्थल के आवंटन का अन्तिम निर्णय मुख्य प्रबन्धक द्वारा लिया जायेगा,जो कि सर्वमान्य होगा।

25 मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल का अधिग्रहण समय-समय पर जिला प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था की दृष्टि से किया जाता है। अतः अकस्मात रूप से शासन अथवा जिला प्रशासन द्वारा स्थल अधिगृहीत किये जाने की स्थिति में स्मारक समिति की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस सम्बन्ध में आयोजक को स्वयं ही जिला प्रशासन व पुलिस से समन्वय कर सुरक्षा बलों के अन्यत्र व्यवस्थापन की कार्यवाही करानी होगी। यदि जिला प्रशासन/शासन/निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी शासकीय कार्यक्रम के आयोजन हेतु अधिग्रहण किया जाता है तो आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

26 किसी भी तरह के विवाद का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

नोटः- मेरे द्वारा उपरोक्त वर्णित बिन्दु सं0-01 से 26 तक में अंकित आवंटन हेतु नियम-शर्तों एवं प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

....

आवेदक के हस्ताक्षर नाम व दिनांक सहित